रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 1980/चैत्र 8, 1902
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 1980/CHAITRA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1980

स्टाम्प

का. आ. 226(अ) :—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क को माफ करती है, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपए मूल्य के बन्ध-पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[सं. 8/80-स्टाम्प-फा. सं. 33/12/80-वि. कर]

जी. एस. मेहरा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1980

STAMPS

S.O. 226(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of one crore and ten lakhs of rupees, to be issued by the Karnataka State Financial Corporation, are chargeable under the said Act.

[No. 8/80-Stamps-F. No. 33/12/80-ST]

G. S. MEHRA, Undr Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.